

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक प 5 (58)/आ.कृ./ एमएनओपी/एमएम-III/2017-18

2477
2520

जयपुर दिनांक 12/05/2017

1. उप निदेशक कृषि (विस्तार)
बीकानेर/श्रीगंगानगर/नागौर/चुरू/
हनुमानगढ/टोंक/बारा/जैसलमेर/झुंझुनू/धौलपुर/अलवर
2. सहायक निदेशक उद्यान/ सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
बीकानेर/श्रीगंगानगर/नागौर/चुरू/हनुमानगढ/टोंक/
बारा/जैसलमेर/झुंझुनू/धौलपुर/अलवर

विषय :- जैतून की खेती के क्षेत्र विस्तार योजना के दिशा-निर्देश एवं लक्ष्यों के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में परम्परागत फसलों के साथ साथ फसल विविधिकरण में अन्य व्यवसायिक फसलों के विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। इसमें क्षेत्र विशेष की कृषि जलवायुवीय स्थितियों में तुलनात्मक रूप से उपयुक्त एवं संभावना वाली बागवानी फसलों को वर्तमान एवं भविष्य में मांग को देखते हुये सघन रूप में बढ़ावा दिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयम पॉम योजना के तहत वर्ष 2017-18 में राज्य में जैतून की खेती का क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के क्रियान्वयन सहायता/अनुदान प्रावधान के अनुसार दिशा-निर्देश निम्नानुसार है:-

सामान्य निर्देश:

1. योजनान्तर्गत कृषकों का चयन यथासम्भव समूह के रूप में किया जावे।
2. योजना गतिविधियों के लिए सहायता/अनुदान प्रावधान का कृषकों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।
3. योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं की यथासंभव भागीदारी रखी जावे।
4. योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अनुदान/ सहायता हेतु आवेदन पत्र क्षेत्र के उप निदेशक कृषि (विस्तार)/ उपनिदेशक उद्यान/आर.ओ.सी.एल/ सहायक निदेशक उद्यान/ सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सम्बंधित सहायक कृषि अधिकारी /कृषि पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करने होंगे।
5. योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भारत सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को लाभान्वित किये जाने की सुनिश्चितता करावे।
6. योजनान्तर्गत आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र में प्राप्त करने होंगे। (संलग्न)
7. योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदन करने वाले वास्तविक आवेदक की मृत्यु होने की स्थिति में अनुदान राशि वास्तविक आवेदक के कानूनी उत्तराधिकारी को देय होगी।

इसके लिये लाभार्थी को कानून में निर्धारित किये प्रावधान अनुसार उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- 8 जिला कार्यालय इस कार्यक्रम की प्रभावी समीक्षा हेतु कृषि अधिकारी/कृषि अनुसंधान अधिकारी स्तर का नोडल आफिसर मनोनीत करेंगे।
- 9 जैतून की खेती की तकनीकी जानकारी हेतु प्रशिक्षण, जिलास्तरीय कैम्प आदि के प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

अनुदान:

- 1 पौध रोपण पर अनुदान –बगीचों की स्थापना के लिए पौध रोपण की वास्तविक लागत या अधिकतम राशि रूपये 48000/- प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो का अनुदान देय होगा। इस क्रम में किसानों द्वारा उपयोग में लिये गये पौधों के अतिरिक्त अन्य आदान यथा उर्वरक/जैविक खाद/पौध संरक्षण रसायनों पर व्यय की गई राशि का भुगतान रूपये 48000/- प्रति हैक्टेयर सीमा में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर बिल तथा अपने खाते का विवरण संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार) को उपलब्ध करायेगे। संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार) प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे एवं आर.ओ.सी.एल. द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी कर अनुदान की राशि का भुगतान किसानों को उनके खाते में हस्तान्तरित किया जावे।
- 2 किसानों द्वारा जैतून के पौधे आर.ओ.सी.एल. के सैन्टर ऑफ एक्सीलेन्स पर स्थापित नर्सरी के माध्यम से प्राप्त/उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- 3 योजनाओं के प्रावधान अनुसार प्रति हैक्टेयर अधिकतम राशि रूपये 48000/- से गणना करते हुये अनुदान राशि का अग्रिम भुगतान आर.ओ.सी.एल. को किया जायेगा।
- 4 यदि निजी कम्पनियों/संस्थाओं द्वारा जैतून का पौध रोपण किया जाता है तो 5 हैक्टेयर तक वास्तविक लागत या अधिकतम राशि रूपये 48000/- प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो का अनुदान देय होगा एवं 5 हैक्टेयर से अधिकतम 25 हैक्टेयर तक जैतून का पौध रोपण करते है तो अनुदान सीमा 50 प्रतिशत ही देय होगा।
- 5 पौधों के संधारण पर अनुदान (Maintenance of Plantation) – जैतून के उद्यानो के रखरखाव एवं उर्वरक, पौध संरक्षण रसायन आदि पर राशि रू0 3,200/- प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष की दर से प्रथम चार वर्षों तक अनुदान देय होगा। पौधों के संधारण पर देय अनुदान उप निदेशक कृषि (विस्तार) की सिफारिश पर आर.ओ.सी.एल. द्वारा संबंधित कृषक के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा। आर.ओ.सी.एल. द्वारा पौधों के संधारण हेतु देय अनुदान के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व संबंधित अधिकारियों से पौधो के जीवित होने का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे, इसका प्रारूप संलग्न है।
- 6 दिशा-निर्देशो के जारी होने की तिथि से पूर्व यदि किसी कृषक द्वारा अनुदान लिया गया/ पौध रोपण किया गया है तो पौधो पर अनुदान में किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं

होगा लेकिन पौध संरक्षण रसायन एवं उर्वरक पर इस वर्ष दिये जाने वाले अनुदान राशि रू0 3200/- प्रति हे0 की दर से ही देय होगा।

- 7 जैतून के साथ अन्तर शस्य क्रियाओं हेतु अनुदान :- मिनिमिशन -III के अन्तर्गत लगाए गए जैतून से उत्पादन शुरू होने तक (Gestation Period) खाद्य फसलों की अन्तर शस्य रूप में खेती करने हेतु 1000/- रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से महत्वपूर्ण आदानों पर अनुदान देय होगा। जैतून के साथ अन्तर शस्य क्रियाओं हेतु देय अनुदान उप निदेशक कृषि (विस्तार) की सिफारिश पर आर.ओ.सी.एल. द्वारा संबंधित कृषक के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।

भौतिक लक्ष्य – लक्ष्यो का निर्धारण निम्न है:-

परिशिष्ट-1

एनएमओओपी के अन्तर्गत जैतून के पौधरोपण के लिए वर्ष 2017-18 हेतु जिलेवार भौतिक लक्ष्य

भौतिक लक्ष्य है0 में		
क स.	जिला	एनएमओओपी
1	श्रीगंगानगर	250
2	बीकानेर	230
3	नागौर	40
4	चूरु	160
5	हनुमानगढ	160
6	टोंक	20
7	बारा	40
8	जैसलमेर	30
9	झुञ्जूनू	30
10	अलवर	10
11	धोलपुर	10
	योग	1000

प्रक्रिया – (अ) पौध रोपण पर अनुदान :-

- 1 कृषक से आवेदन लेते समय निम्न दस्तावेज प्राप्त किये जायेंगे –
 - निर्धारित आवेदन प्रपत्र मय फोटो।
 - भूमि की जमाबंदी/पासबुक की नवीनतम प्रति (छः माह से अधिक पुरानी ना हो) इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त जमाबंदी भी कृषक के सत्यापन के पश्चात मान्य होगी।
 - भूमि एवं पानी विश्लेषण रिपोर्ट (नहरी पानी से सिंचाई की स्थिति में पानी विश्लेषण की रिपोर्ट आवश्यक नहीं है।)
 - घोषणा पत्र (संलग्न) सादे कागज पर
 - कृषक हिस्सा राशि
 - ड्रिप संयंत्र स्थापना संबधी घोषणा अथवा मानचित्र
- 2 जिला कार्यालय उक्त आवेदन पत्रों के अनुसार कृषको का चयन कर प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेगें तथा पौधो की आपूर्ति हेतु आवेदन पत्र राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि० को मांग प्रेषित करेगें।
- 3 जिलास्तर पर कृषक हिस्सा राशि बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद द्वारा प्राप्त की जावें। डी. डी. राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड (बस्सी प्रोजेक्ट) के नाम से जयपुर में भुगतान योग्य हो। यह राशि पृथक खाते में संधारित की जावें।
- 4 कृषक हिस्सा राशि कृषको के द्वारा राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन के मुख्यालय, संबंधित जिला कार्यालय अथवा सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स (हाई-टैक एग्रो-होर्टी रिसर्च एण्ड डिमोन्सट्रेशन सेंटर) बस्सी, जयपुर पर जमा करवायी जा सकेगी।
- 5 चयनित कृषको को जैतून के उच्च गुणवत्ता, मृदा रहित मीडिया में उत्पादित पौधे सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स (हाई-टैक एग्रो-होर्टी रिसर्च एण्ड डिमोन्सट्रेशन सेंटर) बस्सी के माध्यम से उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- 6 प्रति कृषक अनुदान दिए जाने हेतु अधिकतम क्षेत्रफल की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। एवं एक हैक्टेयर क्षेत्रफल के अतिरिक्त अनुदान की गणना अनुपातिक रूप से देय होगी (Pro-rata basis)।
- 7 जैतून के पौधो के क्रय पर अनुदान राशि क्रय के समय राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि० द्वारा स्वीकृति जारी कर अनुमोदित नर्सरी को उपलब्ध करवायी जायेगी।
- 8 अनुदान राशि की गणना क्षेत्रफल के आधार पर की जावेगी। राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड की अनुशंसा के आधार पर जैतून के बगीचे कतार से कतार की दूरी 7 मीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 3 मीटर ज्यामिति पर विकसित किए जाने की सलाह दी जाती है। यदि किसी किसान द्वारा अन्य ज्यामिति पर पौध रोपण किया जाता है उस स्थिति में भी उसे

